निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 चैत्र 1945 (श0)

(सं0 पटना 334) पटना, बुधवार, 19 अप्रील 2023

सं० अ०पा०- 56/2010-477/वि0
वित्त विभाग

संकल्प
19 अप्रील 2023

विषयः- 2.5 प्रतिशत बिहार जमींदारी उन्मूलन क्षतिपूरक बंध-पत्र (2.5% Bihar Zamindari Abolition Compensation Bonds) को भारतीय रिजर्व बैंक से वित्त विभाग, बिहार सरकार को हस्तगत करने एवं वित्त विभाग, बिहार सरकार को इसके प्रबंधन हेतु नोडल विभाग एवं सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन को इसका नोडल कोषागार बनाये जाने के संबंध में ।

वर्ष 1972 से 1974 के बीच 40 वर्षीय बिहार जमींदारी उन्मूलन क्षतिपूरक बंध-पत्र जारी किया गया था । यह बंध-पत्र 50 रूपये, 100 रूपये, 200 रूपये, 500 रूपये, 1000 रूपये, 5000 रूपये, एवं 10000 रूपये, मूल्यवर्ग (Denomination) के हैं । इस बंध-पत्र पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय है । 15 नवम्बर 2000 से देय बंध-पत्र पर बिहार एवं झारखण्ड का दायित्व क्रमशः 74.71 प्रतिशत तथा 25.29 प्रतिशत निर्धारित किया गया है ।

2. वर्तमान में 2.5 प्रतिशत बिहार जमींदारी उन्मूलन क्षतिपूरक बंध-पत्र का प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है । बिहार जमींदारी उन्मूलन क्षतिपूरक बंध-पत्र के कुल 4,63,152 Scrips उपलब्ध है, जिनपर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वार्षिक 10 रूपये प्रति Scrips की दर से प्रबंधन शुल्क लिया जाता है । इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष प्रबंधन शुल्क के रूप में करीब 46 लाख रूपये का भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक को किया जाता है । 40 वर्ष से अधिक पुराने हो चुके इन बंध-पत्रों के विरूद्ध वर्तमान में नगन्य दावें (Claim) प्राप्त हो रहे है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में एक भी दावा का समायोजन (Settlement) नहीं हुआ है । ऐसी स्थिति में इन बंध-पत्रों के बिहार सरकार को हस्तगत किये जाने से उक्त प्रबंधन शुल्क के राशि का भुगतान नहीं किया जाना होगा ।

3. बिहार जमींदारी उन्मूलन क्षतिपूरक बंध-पत्र के सापेक्ष बकाया अधिशेष राशि 25,35,12,961/- (पचीस करोड़ पैंतीस लाख बारह हजार नौ सौ इकसठ मात्र) (बिहार एवं झारखण्ड सहित) को भारतीय रिजर्व बैंक के अभिलेख से दिनांक 02.03.2023 को बट्टे खातें (Write off) कर दिया गया है ।

4. उक्त के आलोक में 2.5 प्रतिशत बिहार जमींदारी उन्मूलन क्षतिपूरक बंध-पत्र (2.5% Bihar Zamindari Abolition Compensation Bonds- BZAC) को भारतीय रिजर्व बैंक से वित्त विभाग, बिहार सरकार को हस्तगत करने एवं वित्त विभाग, बिहार सरकार को इसके प्रबंधन हेतु नोडल विभाग एवं सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन को इसका नोडल कोषागार बनाया जाता है ।

5. बिहार जमींदारी उन्मूलन क्षतिपूरक बंध-पत्र के उपलब्ध Scrips को भारतीय रिजर्व बैंक से वित्त विभाग, बिहार सरकार को हस्तगत किये जाने के उपरांत वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा इसके संचालन के लिए प्रबंधन तंत्र विकसित किया जाएगा, जिसके क्रियान्वयन हेतु वित्त विभाग को इसका नोडल विभाग एवं सचिवालय केाषागार, सिंचाई भवन को इसका नोडल कोषागार बनाया जाता है । बंध-पत्र के दावें से संबंधित आवेदन वित्त विभाग, बिहार सरकार को समर्पित किये जायेंगे । वित्त विभाग द्वारा इन दावों की जांच (Scrutiny) की जाएगी । जांचोपरांत भुगतान हेतु योग्य पाये जाने पर वित्त विभाग के स्तर से इन दावों के विरूद्ध नियमानुकूल भुगतान की कार्रवाई करते हुए कोषागार के माध्यम से धारक को सीधे उनके बैंक खातें में बकाये शेष की राशि का हस्तांतरण किया जाएगा ।

आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
एस० सिद्धार्थ,
अपर मुख्य सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 334-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in